अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2.6/2024/225 बलराम v/s हरिसिंह वगैरा

तारीख पेशी	2024/286 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

बलराम बनाम हरिसिंह वगैरह (2024/286)

29/11/24 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पेश किया जो शामिल मिसल हो। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने इसका विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपील में पहले प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर सुना जावें। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना-पत्र स्थगन तथा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 10.12.2024 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

10/12/24 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी.हेतु पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 29.11.2024 को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि वाग्रस्त आराजीयात ग्राम शिखराणी तहसील विजयनगर में स्थित खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 1191 रकबा 0.2468 है. खसरा नम्बर 1192 रकबा 0.4206 है. के प्रार्थीगण/अपीलांटस खातेदारी हक अधिकारों से दर्ज रकार्ड होकर कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चले आ रहे है, जिससे प्रार्थीगण/अपीलांटस उक्त वर्णित भूमि में हित निहित है। आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 की खातेदारी में दर्ज नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 05 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड रही है उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड बेयनामें से वर्तमान अपीलार्थीगण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है, उक्त आराजीयात वर्तमान में अपीलार्थीगण क्रेता के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है फिर भी वर्तमान अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा कायम किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आराजीयात के खातेदार व कब्जेदार नहीं है के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया है। प्रकरण प्रार्थीगण/अपीलांटस हितबद्ध पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने के हकदार है। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 07.11.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावें।

अभिभाषक केवियटकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 01)ने दौराने जवाव/बहस प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि अपील संधारण योग्य नहीं है क्योकि अपील में लिप्त आराजी वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है उक्त आराजी राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारी के द्वारा विधि विरूद्ध इन्द्राज वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 के नाम त्रुटिपूर्ण इन्द्राज दर्ज आड़ में वाद के विचाराधीन बिना न्यायालय की अनुमति के विधि विरूद्ध क्रय कर इन्द्राज वाद प्रस्तुती के बाद परिवर्तन किये गये, जो विधिक मंशा के तहत् अपीलांट का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलांट के द्वारा राजस्व अभिलेख किस दस्तावेज से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज परिवर्तन करवाये गये जो तथाकथित दस्तावेज एवं उक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज इन्द्राज वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के हक व अधिकारों के विरूद्ध काबिज शून्य प्रभावी है जो उक्त अवैध इन्द्राज/अवैध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में अपीलांट को अपील अनुमति नहीं किया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner